राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 3 **सोलहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का पहला दिवस** **संख्या: 1**

शुक्रवार,

31 जनवरी 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 13.03 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम् मलयज शीतलाम्।
शस्य श्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।
शुभ्र ज्योत्स्नाम् पुलकित यामिनीम्।
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम्।
सुहासिनीम् सुमधुर भाषिणीम्।
सुखदाम् वरदाम् मातरम्।
वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।

संदेश

राज्यपाल महोदय से कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 (विधेयक संख्यांक 30) के सम्बन्ध में प्राप्त संदेश

श्री अध्यक्ष: भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में विधान सभा द्वारा पारित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 (विधेयक संख्यांक 30) पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है:-

यतः। मैंने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 (विधेयक संख्यांक 30) के प्रावधानों को देखा, जो कि दिनांक 02 नवम्बर, 2020 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया है और 24 नवम्बर,

2020 को अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया।

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 के द्वारा कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 21) में संशोधन एवं विशेष उपबंध जोड़ा जाना प्रस्तावित था।

उल्लेखनीय है कि उक्त विधेयक केन्द्रीय कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 21) के परिप्रेक्ष्य में था। वर्तमान स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 को दिनांक 24.11.2021 को संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत कर उक्त केन्द्रीय अधिनियम दिनांक 29.11.2021 से निरसित (Repealed) हो चुके है।

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 को निरसन (Repeal) किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार के विचाराधीन कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को सदन के पुनर्विचार हेतु लौटाया जाना समीचीन है।

इसलिए, अब मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में, राजस्थान विधान सभा को उक्त विनिर्दिष्ट परिस्थिति के अध्यधीन पुनर्विचार के लिए संशोधन विधेयक लौटाता हूं।

राज्यपाल महोदय से कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 (विधेयक संख्यांक 31) के सम्बन्ध में प्राप्त संदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में विधान सभा द्वारा पारित कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 (विधेयक संख्यांक 31) पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है:-

यतः। मैंने कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 (विधेयक संख्यांक 31) के प्रावधानों को देखा, जो कि दिनांक 02 नवम्बर, 2020 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया है और 24 नवम्बर, 2020 को अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया।

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 के द्वारा कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 20) में संशोधन एवं विशेष उपबंध जोड़ा जाना प्रस्तावित था।

उल्लेखनीय है कि उक्त विधेयक केन्द्रीय कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत

आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 20) के परिप्रेक्ष्य में था। वर्तमान स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 को दिनांक 24.11.2021 को संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत कर उक्त केन्द्रीय अधिनियम दिनांक 29.11.2021 से निरसित (Repealed) हो चुके है।

केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 20) को निरसन (Repeal) किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार के विचाराधीन कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को सदन के पुनर्विचार हेतु लौटाया जाना समीचीन है।

इसलिए, अब मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में, राजस्थान विधान सभा को उक्त विनिर्दिष्ट परिस्थिति के अध्यधीन पुनर्विचार के लिए संशोधन विधेयक लौटाता हूं।

राज्यपाल महोदय से राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019

(2019 का विधेयक संख्यांक 22) के सम्बन्ध में प्राप्त संदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 22) पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है।

Jyg/31.01.25/13.10/1o

''यतः। मैंने राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 22) के प्रावधानों को देखा, जो कि दिनांक 05 अगस्त, 2019 को राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।...''

...(व्यवधान)...

आसन पांवों पर है। श्रीमान् जी, आसन पांवों पर है, आप या तो बैठकर बात करें, किसी को बात करनी है तो बैठकर करें। कोई भी हो, बैठकर समझाओ। ...(व्यवधान)... दो मिनट बाद बता देना।

''राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 के द्वारा दुर्बल व्यक्तियों के सांविधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा करने, लिंचिंग के कृत्यों के लिए दंडित करने, ऐसे अपराधों के शीघ्र विचारण हेतु अभिहित न्यायालयों के लिए उपबंध करने के लिए, मॉब लिंचिंग से पीडितों और उनके कुटुंबों के पुनर्वास के लिए और उससे सशक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए निर्मित किया जाना था। जिसे माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति (Assent) हेतु तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा रक्षित रखा गया।

"माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति (Assent) हेतु रक्षित उक्त विधेयक पर राज्य

सरकार द्वारा विधेयक को वापस (Withdraw) लिये जाने के निम्न आधार प्रस्तुत किए हैः-

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट पिटीशन संख्या 754/2016 तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2018 के परिपेक्ष्य में तैयार किया गया था। भारतीय न्याय संहिता. 2023 दिनांक 01.07.2024 से प्रभावी हुई है एवं उक्त अधिनियम की धारा 117 व 189 में इसी संबंध में प्रावधान है।

इसलिए, अब मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में, राजस्थान विधान सभा को उक्त विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन पुनर्विचार के लिए राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 लौटाता हूं।'’

राज्यपाल महोदय से राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008
(2008 का विधेयक संख्यांक 18) के सम्बन्ध में प्राप्त संदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्यांक 18) पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ हैः-

'’यतः। मैने राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 (2008 का विधेयक संख्यांक 18) के प्रावधानों को देखा, जो कि 20 मार्च, 2008 को राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

"राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 के द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में बल के प्रयोग द्वारा या प्रलोभन द्वारा या कपटपूर्ण साधनों द्वारा संपरिवर्तन का प्रतिषेध करने और उससे आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए निर्मित किया जाना था। जिसे माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा रक्षित रखा गया।

माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित उक्त विधेयक पर राज्य सरकार द्वारा विधेयक को वापस (Withdraw) लिये जाने के निम्न आधार प्रस्तुत किए हैंः-

Further, the proviso has the effect of qualifiying the term 'conversion', to not include 'conversion to his 'original religion', the term 'original religion' has not been defined in the Bill.

इसलिए, अब मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में, राजस्थान विधान सभा को उक्त विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन पुनर्विचार के लिए राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008 लौटाता हूँ।'’

अगला।

राज्यपाल महोदय से आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 (विधेयक संख्यांक 32) के सम्बन्ध में प्राप्त संदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में विधान सभा द्वारा पारित आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 (विधेयक संख्यांक 32) पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ हैः-

''यतः। मैने आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 (विधेयक संख्यांक 32) के प्रावधानों को देखा, जो कि दिनांक 02 नवम्बर, 2020 को राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया है और 24 नवम्बर, 2020 को अनुमति के लिए प्रस्तुत किया गया।

"आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 के द्वारा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 22) में संशोधन एवं विशेष उपबंध जोड़े जाना प्रस्तावित था।

"उल्लेखनीय है कि उक्त विधेयक केन्द्रीय आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 22) के परिप्रेक्ष्य में था। वर्तमान स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 को दिनांक 24.11.2021 को संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत कर उक्त केन्द्रीय अधिनियम दिनांक 29.11.2021 से निरसित (Repealed) हो चुके है।

"केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 22) को निरसन (Repeal) किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार के विचाराधीन आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को सदन के पुनर्विचार हेतु लौटाया जाना समीचीन है।

"इसलिए, अब मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में, राजस्थान विधान सभा को उक्त विनिर्दिष्ट परिस्थिति के अध्यधीन पुनर्विचार के लिए संशोधन विधेयक लौटाता हूँ।''

राज्यपाल महोदय से राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023
(2023 का विधेयक संख्यांक 34) के सम्बन्ध में प्राप्त संदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में विधान सभा द्वारा पारित राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 34) पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ हैः-

''यतः। मैने राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 34) के प्रावधानों को देखा, जो कि दिनांक 02 अगस्त, 2023 को राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया गया है।

"राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 के द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 में पुरःस्थापित आमूल परिवर्तनों और नयी संकल्पनाओं को पूरा करने के लिए राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 को निरसित करने और ऐसे प्ररूप में पुनः अधिनियमित करने हेतु, जिससे राजस्थान राज्य के भीतर विद्युतीय ऊर्जा के उपभोग पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण करने के लिए और उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए निर्मित किया जाना था। जिसे माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति (Assent) हेतु तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा रक्षित रखा गया।

"माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति (Assent) हेतु रक्षित उक्त विधेयक पर राज्य सरकार द्वारा विधेयक को वापस (Withdraw) लिये जाने के निम्न आधार प्रस्तुत किए हैः-

General Clauses Act, 1897 की धारा 8 के आधार पर नयी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में धारा 185 के उपबंधों का अर्थान्वयन Rajasthan Electricity (Duty) Bill, 2023 के संदर्भ में नहीं हो सकेगा, इस विधेयक में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार उपबंध सम्मिलित करने की दृष्टि से इसे वापस मंगाया जाना उचित होगा।

"इसलिए, अव, मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परन्तुक के अनुसरण में, राजस्थान विधान सभा को उक्त विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अध्यधीन पुनर्विचार के लिए राजस्थान विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2023 लौटाता हूँ।''

श्री अध्यक्षः माननीय, हमारे श्रीमान् सचिव महोदय।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति

प्रमुख सचिवः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

(अभिभाषण की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट देखें।)

श्री अध्यक्षः प्रमुख सचिव।

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

प्रमुख सचिवः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं, जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

राज्यपाल महोदय द्वारा प्राप्त अनुमति प्राप्त विधेयकः-

1. राजस्थान विनियोग (सं.3) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक सं.-4)
2. राजस्थान वित्त विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक सं.-5)
3. गांधी वाटिका न्यास जयपुर (निरसन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक सं.-6)

श्री अध्यक्षः अध्यादेश।

माननीय श्री भजन लाल शर्मा, मुख्य मंत्री।

अध्यादेश

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024

श्री भजन लाल शर्मा (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (2024 का अध्यादेश संख्याक-1) सदन की मेज पर रखता हूं।

mkd/rtm/31.01.2025/13:20/1p

श्री अध्यक्षः श्री झाबर सिंह खर्रा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं:-

भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024

(1) भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 (2024 का अध्यादेश संख्याक-2)

बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024

(2) बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 (2024 का अध्यादेश संख्याक-3)

श्री अध्यक्षः श्रीमान सचेतक महोदय।

सदस्य का निलम्बन

श्री मुकेश भाकर, माननीय सदस्य, का निलम्बन निरस्तीकरण

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 292 (2) के परन्तुक के अन्तर्गत निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि दिनांक 6 अगस्त, 2024 को सदन द्वारा माननीय सदस्य श्री मुकेश भाकर का निलम्बन किया गया था, उसे तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जाये।

श्री अध्यक्षः सचेतक द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उस सन्दर्भ में सम्बन्धित विधायक मुझसे मिले और विपक्ष के नेता भी मुझसे मिले। सबने इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अपनी चिन्ता व्यक्त की और यह आश्वस्त किया, सदस्य ने भी और विपक्ष के नेताओं ने भी कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना नहीं होगी।

मेरा भी आप सब लोगों से आग्रह है कि यह सदन नियमों, परम्पराओं और मर्यादाओं से चलता है। हम सबका पक्ष और विपक्ष के लोग का मिलकर सदन चलाना दायित्व बनता है। उसमें विपक्ष को भी अपनी कोई बात कहनी है तो उसकी भी कुछ मर्यादाएं हैं, उसके अन्तर्गत करें। सत्ता पक्ष भी उसमें सहयोग करें, ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हों। मुझे भी उस दिन बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि किसी सदस्य को सदन के बाहर भेजा जाये।

अभी यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज शायद यह पहला सत्र होगा या बहुत सत्रों बाद होगा, जब आज सदन में 200 के 200 सदस्य उपस्थित हैं। 200 सदस्य सदन में हैं, पहले तो हमेशा कहीं न कहीं, अपन सब अनुभवी हैं, मैं कहना नहीं चाहता, कोई न कोई सदस्य की संख्या, कभी एक-दो कम होती रही है।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): यह तो वासुदेव की कृपा है।

श्री अध्यक्षः वैसे पिछले दिनों दो-तीन वास्तु वालों को भी बुलाया, कुछ सुझाव लिये, एकाध सुझाव इम्प्लीमेंट किये हैं, एकाध और बताये गये हैं। मैं चाहता हूं कि ये चार साल पूरे 200 के 200 सदस्य इस सदन के बने रहे, ऐसी मेरी अपेक्षा है।

आज पहला दिन है। मुझे दो बातें आपको कहनी हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। मुझे दो बातें कहनी हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप मुकेश वाले को करवाओ तो सही।

श्री अध्यक्ष: अभी शोकाभिव्यक्ति के बाद करवाते हैं।

मुझे आप सबको एक ही बात कहनी है, आज पहला दिन है। राज्यपाल महोदय राजनीति से ऊपर हैं। राज्यपाल महोदय के भाषण को हम सब पीसफुली सुनें, अपने को चार दिन मिलेंगे। उनके भाषण पर चर्चा में जो कुछ कहना है, दोनों अपना-अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन उनके बीच में कहना और आज लोगों को सबको पता था 15 मिनट पहले आना है, फिर भी आज कुछ सदस्य लेट तक आते रहे, बीच में बैठते रहे, यह हम आगे से ध्यान रखें। वह भी एक तरह से आसन ही था। आसन पांवों पर हो तो हम जहां पर बैठ सकते हैं, वहीं पर बैठें। अपन ने सीटें कुछ चैंज की हैं, अपन ढूंढते रहे तो वह भी नहीं ढूंढ पाये। तो हमारा सदन गरिमापूर्ण और जो नियम है, उससे चले। एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करें। हम सब यहां पर सदन चलाने आये हैं और जनता की जो समस्याएं हैं, उनको यहां पर उठाने के लिए आये हैं तो उठाने की अपनी मर्यादाएं हैं, उसको अपन करें। सब पुराने लोग हैं, कुछ नये लोग हैं। यदि पुराने लोग इसका पालन करेंगे तो नये लोग भी उसका पालन करेंगे।

मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव जो रखा गया है, उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। शोकाभिवक्ति।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत पूर्व प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्री एस.एम. कृष्णा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बुद्धदेब भट्टाचार्य, पूर्व सांसद श्री नटवर सिंह, डॉ. ज्ञान प्रकाश पिलानिया एवं श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़, इस सदन के सदस्य श्री जुबेर खान एवं श्री अमृतलाल मीणा, पूर्व मंत्री श्री हरसहाय मीणा, पूर्व राज्य मंत्री श्री सुन्दरलाल, श्री गुरजन्ट सिंह, श्री बनवारी लाल शर्मा एवं श्री मोहन मेघवाल और इस सदन के पूर्व सदस्य श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्री रेवती प्रसाद कोली, श्री श्रीराम मीणा तथा श्री रणमल सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

डॉ. मनमोहन सिंह, श्री, पूर्व प्रधान मंत्री

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितम्बर, 1932 को पश्चिमी पंजाब के गाह में हुआ। आपने एम.ए. (अर्थशास्त्र), इकोनोमिक्स ट्रिपोस एवं डी.फिल की उपाधियां प्राप्त कीं।

डॉ. मनमोहन सिंह छह बार राज्य सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। हम गौरवान्वित हैं कि आप वर्ष 2019 में राज्य सभा के लिये राजस्थान से निर्वाचित हुए। राज्य सभा के कार्यकाल के दौरान आप राज्य सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य एवं सभापति रहे। आप राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। प्रख्यात अर्थशास्त्री रहे डॉ. सिंह केन्द्र सरकार में वित्त मंत्री रहे। नवोन्मेषी विचारक एवं प्रशासक के रूप में आपकी नीतियों एवं नवीन दृष्टिकोण से देश में उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। कुशल प्रशासक एवं दीर्घ संसदीय अनुभव

रखने वाले डॉ. सिंह मई, 2004 से मई, 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रगतिशील विचारों के पोषक डॉ. सिंह के कार्यकाल के दौरान देश की आर्थिक, विदेश नीति एवं अन्य क्षेत्रों में समावेशी विकास हुआ।

वित्तीय मामलों के जानकार डॉ. सिंह ने वित्त मंत्रालय में सचिव एवं भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर, योजना आयोग के चेयरमैन सहित देश के महत्त्वपूर्ण आर्थिक संस्थानों में विभिन्न पदों के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉ. सिंह की इण्डियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेंड ग्रोथ' एवं चेलेंजिंग इण्डिया' शीर्षक से पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। आपके अनेक आलेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रहे डॉ. सिंह विभिन्न आर्थिक, शैक्षिक एवं खेल संगठनों से सम्बद्ध रहे। कार्य के प्रति प्रतिबद्धता एवं उनके अविस्मरणीय योगदान को मान्यता देते हुए आपको 'पद्म विभूषण' सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राजस्थान विधान सभा में अभूतपूर्व अवसर था, जब दिनांक 7 जुलाई, 2019 को आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम' में आपने अपने अनुभव नव-निर्वाचित विधायकों से साझा कर उन्हें प्रेरित किया।

डॉ. मनमोहन सिंह का दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को निधन हो गया।

एस. एम. कृष्णा, श्री, पूर्व राज्यपाल (महाराष्ट्र) एवं पूर्व मुख्य मंत्री (कर्नाटक)

महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल श्री एस.एम. कृष्णा का जन्म 1 मई, 1932 को कर्नाटक के सोमनहल्ली में हुआ। आपने बी.ए., बी.एल. एवं एम.सी.एल. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री एस.एम. कृष्णा कर्नाटक विधान सभा, कर्नाटक विधान परिषद्, लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्य रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री कृष्णा कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष, कर्नाटक सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री, उप मुख्य मंत्री रहे। आप वर्ष 2004 से 2008 तक कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री रहे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री कृष्णा केन्द्र सरकार में राज्य मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री रहे तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर भी आसीन रहे।

समाज सेवा एवं अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री कृष्णा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस सहित अनेक संगठनों से सम्बद्ध रहे।

श्री एस.एम. कृष्णा का दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को निधन हो गया।

ओम प्रकाश चौटाला, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री (हरियाणा)

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी, 1935 को हरियाणा के डबवाली ग्राम में हुआ। आपने मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री ओम प्रकाश चौटाला सात बार हरियाणा विधान सभा के सदस्य बने तथा पांच बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। आप हरियाणा के विकास के लिये समर्पित थे। आप हरियाणा विधान सभा में विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। श्री चौटाला हरियाणा विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री चौटाला राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

सामाजिक एवं जनोत्थान के कार्यों में रुचि रखने वाले श्री चौटाला इण्डियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष भी रहे।

श्री ओम प्रकाश चौटाला का दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को निधन हो गया।

बुद्धदेब भट्टाचार्य, श्री, पूर्व मुख्य मंत्री (पश्चिम बंगाल)

पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री बुद्धदेब भट्टाचार्य का जन्म 1 मार्च, 1944 को कलकत्ता में हुआ। आपने प्रेसीडेंसी कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की।

श्री बुद्धदेब भट्टाचार्य लगभग तीन दशकों तक पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री भट्टाचार्य लम्बे समय तक पश्चिम बंगाल सरकार में विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। आप पश्चिम बंगाल सरकार में उप मुख्य मंत्री भी रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री भट्टाचार्य नवम्बर, 2000 से मई, 2011 तक पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री रहे। इस दौरान आपने औद्योगिकरण पर बल देते हुए सामाजिक सुधार की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया।

भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से सम्बद्ध रहे श्री भट्टाचार्य ने पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्य किया। आप पोलित ब्यूरो के सदस्य भी रहे।

श्री बुद्धदेब भट्टाचार्य का दिनांक 8 अगस्त, 2024 को निधन हो गया।

Kas/rtm/31.01.2025/13.30/1q

नटवर सिंह, श्री, पूर्व केन्द्रीय मंत्री

पूर्व सांसद श्री नटवर सिंह का जन्म 16 मई, 1931 को भरतपुर में हुआ। आपने बी.ए. (ऑनर्स) की उपाधि प्राप्त की।

श्री नटवर सिंह आठवीं तथा बारहवीं लोक सभा में सांसद रहे। आठवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप स्टील, खान एवं कोयला तथा कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री रहे। कूटनीतिज्ञ श्री सिंह बारहवीं लोक सभा के कार्यकाल के दौरान विदेश मंत्री रहे। लोक सभा में आप विभिन्न समितियों के सभापति भी रहे।

श्री सिंह ने भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में अपना करियर आरम्भ किया तथा कई देशों में भारत के राजनयिक के रूप में उल्लेखनीय योगदान दिया। आपने विदेश मंत्रालय के सचिव के रूप में भी अपनी सेवायें दीं। श्री सिंह को विदेश नीति एवं कूटनीति में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिये स्मरण किया जायेगा। आपको पद्म भूषण’ सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

अध्ययन में रुचि रखने वाले श्री सिंह की ई.एम. फ्रोस्टर - ए ट्रिब्यूट’, द लिगेसी ऑफ नेहरू’, महाराजा सूरजमल’, कर्टेन राइजर’ तथा प्रोफाइल्स एंड लेटर्स’ नामक पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

श्री नटवर सिंह का दिनांक 11 अगस्त, 2024 को निधन हो गया।

डॉ. ज्ञान प्रकाश पिलानिया, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद डॉ. ज्ञान प्रकाश पिलानिया का जन्म 18 फरवरी, 1932 को श्रीगंगानगर में हुआ। आपने एम.ए.(इतिहास), एम.ए.(हिन्दी), एलएल.बी. एवं पीएच.डी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

डॉ. ज्ञान प्रकाश पिलानिया दो बार भारतीय जनता पार्टी से राज्य सभा के सांसद निर्वाचित हुए। राज्य सभा में आप जल संसाधन समिति, ग्रामीण विकास समिति तथा अन्य संसदीय समितियों के सदस्य रहे। आप भारत- ट्युनिशिया पार्लियामेंटरी फ्रेंडशिप ग्रुप के प्रेसीडेण्ट भी रहे।

वर्ष 1955 में आई.पी.एस. बने डॉ. पिलानिया ने केन्द्र एवं राज्य में पुलिस विभाग के विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन करते हुए पुलिस महानिदेशक के पद पर सेवाएं दीं। डॉ. पिलानिया राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे डॉ. पिलानिया की प्रशासन एवं विकास, पं. झाबरमल अभिनन्दन ग्रन्थ, लीडरशिप तथा सवाई जयसिंह नामक पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

डॉ. ज्ञान प्रकाश पिलानिया का दिनांक 14 अक्टूबर, 2024 को निधन हो गया।

महेन्द्र सिंह मेवाड़, श्री, पूर्व सांसद

पूर्व सांसद श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ का जन्म 13 फरवरी, 1941 को बीकानेर में हुआ। आपने राजकीय महाविद्यालय, अजमेर से बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ नौवीं लोक सभा में चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप उद्योग मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य रहे।

खेल को प्रोत्साहन देने वाले श्री मेवाड़ ने स्वयं भी स्कूल एवं कॉलेज में विभिन्न खेलों में कई कीर्तिमान बनाये। आप महाराणा भूपाल संस्थान के प्रेसीडेण्ट तथा मेयो कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर के उप सभापति रहे। आप अखिल भारतीय एवं मेवाड़ क्षेत्र क्षत्रीय महासभा के संरक्षक भी रहे।

श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ का दिनांक 10 नवम्बर, 2024 को निधन हो गया।

जुबेर खान, श्री, सदस्य

इस सदन के विधायक श्री जुबेर खान का जन्म 1 अगस्त, 1962 को अलवर जिले के बहाला ग्राम में हुआ। आपने बी.एड. एवं एम.ए. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री जुबेर खान नौवीं, दसवीं, बारहवीं एवं वर्तमान सोलहवीं राजस्थान विधान सभा में रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति 'क', गृह समिति, स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं सम्बन्धी समिति, विशेषाधिकार समिति एवं संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। संसदीय परम्पराओं के जानकार श्री जुबेर खान सदन की कार्यवाही में सक्रिय भाग लेते थे। आप राजस्थान विधान सभा में कांग्रेस विधायक दल के उप सचेतक एवं सचेतक भी रहे।

श्री जुबेर खान राजस्थान प्रदेश टेलीकॉम सलाहकार समिति तथा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट्स के सदस्य रहे। छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि रखने वाले श्री खान ने विभिन्न शिविरों के आयोजन में सक्रिय योगदान दिया।

सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री खान जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के छात्रसंघ की समितियों में विभिन्न पदों पर रहे। कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री खान ने राष्ट्रीय सचिव तथा अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित दल के अनेक पदों के दायित्वों का निर्वहन किया। खेलकूद में रुचि रखने वाले श्री खान ने विश्वविद्यालय स्तर की क्रिकेट एवं हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया। श्री खान के कई आलेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए।

श्री जुबेर खान का दिनांक 14 सितम्बर, 2024 को निधन हो गया।

अमृतलाल मीणा, श्री, सदस्य

इस सदन के विधायक श्री अमृतलाल मीणा का जन्म 15 सितम्बर, 1959 को सराड़ा तहसील के लालपुरिया सेमारी ग्राम में हुआ। आपने समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री अमृतलाल मीणा चौदहवीं, पन्द्रहवीं तथा वर्तमान सोलहवीं विधान सभा में सलूम्बर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, प्राक्कलन समिति ख', अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति तथा प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सदस्य रहे। सरल एवं मृदुभाषी श्री मीणा विधान सभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री मीणा अपने सार्वजनिक जीवन में पंचायत समिति, सराड़ा तथा जिला परिषद्, उदयपुर के सदस्य रहे। आप पंचायत समिति में विपक्ष के नेता भी रहे। अनुसूचित जन जाति के कल्याण के लिए समर्पित रहे श्री मीणा आदिवासी समाज संगठन, सराड़ा के महामंत्री रहे।

श्री अमृतलाल मीणा का दिनांक 8 अगस्त, 2024 को निधन हो गया।

हरसहाय मीणा, श्री, पूर्व मंत्री

पूर्व मंत्री श्री हरसहाय मीणा का जन्म 3 मार्च, 1940 को बारां जिले के केलवाड़ा में हुआ। आपने सैकण्डरी तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री हरसहाय मीणा सातवीं राजस्थान विधान सभा में किशनगंज निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति के सदस्य एवं सभापति रहे। आप संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। श्री मीणा फरवरी, 1981 से जुलाई, 1981 तक जन जाति क्षेत्रीय विकास विभाग, देवस्थान विभाग, वक्फ विभाग एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री रहे।

सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री मीणा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ एवं विधिक सहायता परामर्शी बोर्ड के सदस्य रहे।

श्री हरसहाय मीणा का दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 को निधन हो गया।

सुन्दरलाल, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री श्री सुन्दरलाल का जन्म 22 अगस्त, 1933 को झुन्झुनूं जिले के कलवा ग्राम में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री सुन्दरलाल पांचवी, सातवीं, आठवीं, दसवीं, बारहवीं, तेरहवीं एवं चौदहवीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे। आप पांचवीं, सातवीं, आठवीं एवं दसवीं विधान सभा में सूरजगढ़ तथा तेरहवीं एवं चौदहवीं विधान सभा में पिलानी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। श्री सुन्दरलाल पांचवीं एवं आठवीं विधान सभा में कांग्रेस, सातवीं एवं दसवीं विधान सभा में निर्दलीय तथा बारहवीं, तेरहवीं एवं चौदहवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति, गृह समिति, याचिका समिति, अनुसूचित जाति कल्याण समिति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, राजकीय उपक्रम समिति, प्राक्कलन समिति ख', नियम समिति एवं पर्यावरण सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। आप सभापति तालिका के सदस्य भी रहे। संसदीय सचिव रहे श्री सुन्दरलाल जुलाई, 1998 से नवम्बर, 1998 तक राज्य सरकार में राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग एवं ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री भी रहे।

काका' के नाम से प्रख्यात श्री सुन्दरलाल अपने सार्वजनिक जीवन में पंचायत समिति बुहाना के सदस्य तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं भारतीय खाद्य निगम के संचालक मण्डल के सदस्य रहे। आप अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे। आर्य समाज से सम्बद्ध रहे।

श्री सुन्दरलाल आर्य ने समाज के विभिन्न पदों पर सक्रिय रहकर सामाजिक कूरीतियों के उन्मूलन के लिये कार्य किया। आपकी लोक गायक के रूप में प्रदेश में ख्याति थी।

श्री सुन्दरलाल का दिनांक 13 सितम्बर, 2024 को निधन हो गया।

गुरजन्ट सिंह, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री श्री गुरजन्ट सिंह का जन्म 4 मई, 1939 को पंजाब के ताजो के ग्राम में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री गुरजन्ट सिंह दसवीं, बारहवीं एवं चौदहवीं राजस्थान विधान सभा में संगरिया निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुए। आप दसवीं विधान सभा में निर्दलीय तथा बारहवीं एवं चौदहवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति क', सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। श्री सिंह दिसम्बर, 1993 से जुलाई, 1998 तक ऊर्जा विभाग एवं जल संसाधन विभाग के उप मंत्री तथा जुलाई, 1998 से नवम्बर, 1998 तक जल संसाधन विभाग के राज्य मंत्री रहे।

श्री सिंह अपने सार्वजनिक जीवन में ग्राम पंचायत, चक महाराज के उप सरपंच तथा पंचायत समिति, सादुलशहर के प्रधान रहे। आप कृषि उपज मण्डी, श्रीगंगानगर एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति, सादुलशहर के अध्यक्ष रहे। श्री सिंह अनेक कृषि एवं सहकारी

संस्थाओं के निदेशक भी रहे।

सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले श्री सिंह राजस्थान जट सिख समाज, श्रीगंगानगर के संरक्षक, गुरुद्वारा सिंह सभा सहित अनेक सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। आपने संगरिया किसान आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जेल यात्रा भी की।

श्री गुरजन्ट सिंह का दिनांक 3 नवम्बर, 2024 को निधन हो गया।

mdp/31.01.2025/13:40/2a

बनवारी लाल शर्मा, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री श्री बनवारी लाल शर्मा का जन्म 1 दिसम्बर, 1940 को धौलपुर जिले के पचगांव में हुआ। आपने आगरा कॉलेज से बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री बनवारी लाल शर्मा चौथी, पाँचवीं, सातवीं, दसवीं एवं बारहवीं राजस्थान विधान सभा में धौलपुर निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुए। आप चौथी एवं पाँचवीं विधान सभा में कांग्रेस से, सातवीं विधान सभा में कांग्रेस (आई) तथा दसवीं एवं बारहवीं विधान सभा में इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, विशेषाधिकार समिति, राजकीय उपक्रम समिति, जन लेखा समिति एवं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सभापति भी रहे। श्री शर्मा फरवरी, 1981 से जुलाई, 1981 तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहे।

कांग्रेस से सम्बद्ध रहे श्री शर्मा दल में विभिन्न पदों पर रहे। आप रेलवे की विभिन्न समितियों के भी सदस्य रहे।

श्री बनवारी लाल शर्मा का दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 को निधन हो गया।

मोहन मेघवाल, श्री, पूर्व राज्य मंत्री

पूर्व राज्य मंत्री श्री मोहन मेघवाल का जन्म 23 मई, 1943 को जोधपुर के राजबाग में हुआ। आपने भाषा रत्न की उपाधि प्राप्त की।

श्री मोहन मेघवाल नौवीं, दसवीं एवं बारहवीं राजस्थान विधान सभा में सूरसागर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण समिति के सदस्य एवं सभापति रहे। आप संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे। श्री मेघवाल मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक राज्य सरकार में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, आवासन विभाग एवं यातायात विभाग सहित अन्य विभागों के राज्य मंत्री रहे।

श्री मेघवाल अपने सार्वजनिक जीवन में नगर विकास न्यास, जोधपुर, जेल सुधार समिति, जिला अभाव अभियोग सतर्कता समिति, जोधपुर एवं राजस्थान आवासन मण्डल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा तथा विशेषकर बालिका शिक्षा के प्रसार के

लिये आप सदैव प्रयत्नशील रहे। विभिन्न आन्दोलनों में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले श्री मेघवाल आपातकाल के दौरान नजरबंद रहे।

श्री मोहन मेघवाल का दिनांक 21 अक्टूबर, 2024 को निधन हो गया।

सूर्यकान्ता व्यास, श्रीमती, पूर्व सदस्या

पूर्व विधायक श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास का जन्म 23 फरवरी, 1938 को जोधपुर में हुआ। आपने प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास नौवीं, दसवीं, बारहवीं, तेरहवीं, चौदहवीं एवं पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी की विधायक रहीं। आप नौवीं, दसवीं एवं बारहवीं विधान सभा में जोधपुर तथा तेरहवीं, चौदहवीं एवं पन्द्रहवीं विधान सभा में सूरसागर निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित हुईं। सरल व्यक्तित्व की धनी श्रीमती व्यास विधान सभा के कार्यकाल के दौरान गृह समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति, सदाचार समिति, प्राक्कलन समित ख' एवं सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति की सदस्य रहीं। महिला हितों की पेरोकार रही श्रीमती व्यास विधान सभा की महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति से लम्बे समय तक जुड़ी रहीं। आप इस समिति की सदस्य एवं सभापति रहीं। दीर्घ संसदीय अनुभव तथा विधायक के रूप में उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको 2012 के सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

जीजी' के नाम से प्रख्यात श्रीमती व्यास अपने सार्वजनिक जीवन में नगर परिषद्, जोधपुर की सदस्य रहीं। आप राजस्थान दूरसंचार सलाहकार समिति तथा भारतीय खाद्य निगम की राजस्थान परामर्श समिति की सदस्य रहीं। श्रीमती व्यास पर्यावरण विकास संस्थान, जोधपुर एवं उमाशंकर व्यास मेमोरियल संस्थान की संस्थापक भी रहीं। समाज कल्याण हेतु समर्पित श्रीमती व्यास सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन से जुड़ी संस्थाओं से सम्बद्ध रहीं। आपने अनेक आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा जेल यात्राएं भी कीं। आपको विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया।

भारतीय जनता पार्टी से सम्बद्ध रहीं श्रीमती व्यास ने दल के विभिन्न पदों के दायित्वों का निर्वहन किया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास का दिनांक 26 सितम्बर, 2024 को निधन हो गया।

रेवती प्रसाद कोली, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री रेवती प्रसाद कोली का जन्म 19 फरवरी, 1939 को भरतपुर जिले के वैर कस्बे में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री रेवती प्रसाद कोली दसवीं राजस्थान विधान सभा में वैर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप पुस्तकालय समिति के सदस्य रहे।

समाज सेवी रहे श्री कोली नगर पालिका वैर के सदस्य भी रहे।

श्री रेवती प्रसाद कोली का दिनांक 9 दिसम्बर, 2024 को निधन हो गया।

श्रीराम मीणा, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री श्रीराम मीणा का जन्म 15 दिसम्बर, 1948 को अलवर में हुआ। आपने बी.ए. एवं एलएल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री श्रीराम मीणा नौवीं राजस्थान विधान सभा में राजगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से इण्डियन नेशनल कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। आप संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी रहे।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिये समर्पित रहे श्री मीणा आदिवासी समाज, अलवर के अध्यक्ष रहे। आप कप्तान श्री छुट्टनलाल मीणा छात्रावास, अलवर के अध्यक्ष एवं संयोजक रहे।

श्री श्रीराम मीणा का दिनांक 23 नवम्बर, 2024 को निधन हो गया।

रणमल सिंह, श्री, पूर्व सदस्य

पूर्व विधायक श्री रणमल सिंह का जन्म 4 दिसम्बर, 1923 को सीकर जिले के कटराथल ग्राम में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की।

श्री रणमल सिंह छठी राजस्थान विधान सभा में सीकर निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे।

स्वतंत्रता सेनानी रहे श्री सिंह अपने सार्वजनिक जीवन में अपने ग्राम के पांच बार सरपंच निर्वाचित हुए तथा पंचायत समिति पीपराली के प्रधान भी रहे। आप सीकर के क्रय-विक्रय संघ, कृषि उपज मण्डी एवं प्राथमिक भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष रहे।

श्री रणमल सिंह का दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को निधन हो गया।

मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

जयपुर-अजमेर हाईवे (भांकरोटा) पर घटित दुर्घटना के मृतक

दिनांक 20 दिसम्बर, 2024 को जयपुर अजमेर हाइवे पर दो ट्रकों के मध्य भिडंत हो गयी। इस हृदय विदारक दुर्घटना में लगभग 20 जनों की मृत्यु हो गयी तथा कई लोग घायल हो गये।

प्रयागराज महाकुम्भ 2025 में हुए हादसे के मृतक

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुम्भ के दौरान दिनांक 29 जनवरी, 2025 को प्रातः श्रद्धालुओं की भगदड़ में कतिपय लोगों की मृत्यु हो गयी तथा कई लोग घायल हो गये।

यह सदन इन दुर्घटनाओं में मारे गये लोगों के प्रति शोक प्रकट करता है।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनंतर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।)

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 03 फरवरी 2025 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 13:51 बजे, सोमवार, दिनांक 03 फरवरी 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट

माननीय राज्यपाल, श्री हरिभाऊ बागडे का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण

अपनी स्वस्थ परम्पराओं और मूल्यों से संसदीय लोकतंत्र को नए आयाम प्रदान करने वाली राजस्थान विधान सभा को प्रथम बार संबोधित करते हुए मैं गौरवान्वित हूं। सोलहवीं विधान सभा का यह तृतीय सत्र है। इस पवित्र सदन में आप सभी माननीय सदस्यों से रूबरू होना मेरे लिए भावपूर्ण एवं अविस्मरणीय पल है।

1. सर्वप्रथम मैं, इस माटी को प्रणाम करता हूं, जिसके कण–कण में शौर्य, त्याग एवं बलिदान की गाथाएं रची–बसी हैं। यहां के किले–महल एवं बावड़ियां आज भी अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी कहते हैं। यहां की वीरांगनाओं और वीर सपूतों ने अपनी आन–बान की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने से कभी संकोच नहीं किया। मान–सम्मान और स्वाभिमान की ऐसी वीर प्रसूता भूमि को सादर नमन करते हुए मैं 8 करोड़ राजस्थानियों की सुख और समृद्धि के लिए कामना करता हूं।

2. मुझे विश्वास है कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में बैठे प्रत्येक माननीय सदस्य के मन–मस्तिष्क में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के कल्याण की भावना अवश्य होगी।

3. मैं, आशान्वित हूं कि आप सभी माननीय सदस्यों द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस पवित्र सदन में सार्थक चर्चा की जाएगी। मतदाताओं ने जिन उम्मीदों के साथ चुनकर आपको इस पवित्र सदन में भेजा है, उन पर आप खरा उतरेंगे, जिससे प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी।

4. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में, विगत वर्षों में हमारे देश ने अद्‌भुत प्रगति अर्जित की है। मजबूत हाथों में कमान होने से भारत ने अपना वर्तमान बहुत बेहतर किया है और भविष्य की नई चुनौतियों के लिए स्वयं को तैयार किया है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय से सहकारी संघवाद की अवधारणा सशक्त हुई है और 'राष्ट्र प्रथम' हमारा मूलमंत्र बन गया है।

5. मुझे प्रसन्नता है कि राज्य सरकार ने युग पुरुष पं. दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलते हुए 'एकात्म मानववाद' की अवधारणा को आत्मसात किया है। एक वर्ष में प्रदेश के समग्र विकास के लिए दूरगामी निर्णय किए गए हैं, जिनसे हमारी माताओं–बहनों, युवा, किसान भाइयों, श्रमिकों सहित समाज के हर वर्ग का जीवन बेहतर हुआ है।

6. मैं, इस पवित्र सदन में युवाओं का प्रतिनिधित्व देखकर अपने को अधिक ऊर्जावान् और आशावान् महसूस कर रहा हूं। युवा हमारे प्रदेश का भविष्य हैं। राज्य सरकार उन्हें आगे बढ़ने के समुचित अवसर प्रदान करने की सोच के साथ काम कर रही है।

7. राजस्थान में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। इसे साकार करने के उद्देश्य से 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' सरकार की दूरदर्शी सोच का सफल उदाहरण है। कार्यकाल के पहले ही साल में समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश की मजबूत बुनियाद रखी गई है। हमारा सौभाग्य है कि 'वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट' के माध्यम से राज्यों को निवेश का सफल मॉडल देने वाले विजनरी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का प्रेरणादायी सानिध्य हमें मिला।

8. इस सफल वैश्विक समिट में 32 देशों ने हिस्सा लिया और 16 देशों ने पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता निभाई। देश–विदेश के 147 एग्जीबिटर्स एवं 32 हजार से अधिक डेलीगेट्स एवं विजिटर्स शामिल हुए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'राइजिंग राजस्थान' से राजस्थान में औद्योगिक विकास का भाग्योदय होगा। प्रतिभा एवं कौशल से भरे हमारे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

9. निवेश प्रस्तावों को शीघ्रातिशीघ्र धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए हम संकल्पित हैं। इसके लिए लगातार उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है।

10. हमारी सरकार का लक्ष्य है कि बाधाओं को दूर कर नीतिगत सुधारों के माध्यम से प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति दी जाए। इस उद्देश्य से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2024, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी–2024, राजस्थान एक जिला–एक उत्पाद नीति–2024, राजस्थान एमएसएमई नीति–2024 तथा राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना–2024 लागू की गई है।

11. राज्य की प्रगति में उद्योगों का योगदान सर्वविदित है। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं भूमि अधिग्रहण के लिए 512 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किए गए हैं। नए 11 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 1 हजार 282 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, 11 नए औद्योगिक क्षेत्र भूमि आवंटन के लिए भी खोले गए हैं।

माननीय सदस्यगण !

12. हमारी सरकार वादों पर नहीं बल्कि काम करने में विश्वास करती है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ने यह सिद्ध किया है। पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में तत्कालीन राज्य सरकार ने पहली बार इस योजना के माध्यम से पूर्वी राजस्थान को सरसब्ज बनाने का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया था। लेकिन दुर्भाग्य से विगत सरकार के समय राजनीतिक लाभ के कारण इस परियोजना को अटकाया जाता रहा। हमारी सरकार ने इसे 'रामजल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पार्वती–कालीसिंध–चंबल परियोजना) के रूप में धरातल पर क्रियान्वित करने की दिशा में मजबूत पहल है।

13. राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में इस परियोजना के मेमोरंडम ऑफ एग्रीमेंट का आदान–प्रदान किया गया। इस सुअवसर पर प्रदेश की जीवनदायिनी नदियों 'पार्वती, कालीसिंध और चम्बल के पवित्र जल को 'राम जल सेतु' कलश में प्रवाहित किया गया।

14. परियोजना के साकार होने से समृद्धि एवं खुशहाली के नए युग की शुरुआत होगी। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों में 4 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी की पेयजल जरुरतों को पूरा किया जा सकेगा। राजस्थान सरकार, मध्यप्रदेश के साथ मिलकर इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए संकल्पित है और 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

15. मुझे खुशी है कि कोटा जिले में कालीसिंध नदी पर नवनेरा बांध का निर्माण अक्टूबर, 2024 में पूरा कर लिया गया है। यह बांध एमपीकेसी परियोजना की क्रियान्विति की दिशा में नींव का पत्थर साबित होगा।

16. इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास के अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 2 हजार 816 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। इससे 14 हजार 517 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है।

17. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पहल पर भारत सरकार, हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य हुए समझौते के आधार पर सीकर, चूरू एवं झुंझुनू जिलों में यमुना का जल लाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

18. वर्तमान सरकार द्वारा 249 करोड़ रुपये व्यय कर 226 किलोमीटर में चम्बल की नहरों की लाइनिंग एवं 5 हजार 485 हेक्टेयर क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण कार्य किया गया है। इसी प्रकार हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर के 25 हजार हेक्टेयर से अधिक कमांड क्षेत्र में 108 करोड़ रुपये व्यय कर पक्के खालों का निर्माण किया गया है।

19. राजस्थान वह प्रदेश है जहां सदियों से जल संचयन और जल संरक्षण की परम्परा रही है। पानी की एक–एक बूंद के महत्व को राजस्थानियों से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। जल संरक्षण के लिए राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों में अटल भूजल योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों द्वारा कन्वर्जेन्स से 1 हजार 132 ग्राम पंचायतों में 459 करोड़ रुपये से जल संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य कराए गए हैं।

20. कम पानी के उपयोग वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए 404 फॉर्म पोण्ड एवं डिग्गियों के निर्माण के साथ ही 4 हजार 349 हेक्टेयर क्षेत्र में पाइप लाइन, ड्रिप, स्प्रिंक्लर, मिनी किट वितरण तथा मृदा जल संरक्षण के कार्य हुए हैं। इन प्रयासों से 11 ब्लॉक्स की 311 ग्राम पंचायतों के भूजल स्तर में सुधार आया है।

21. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'कैच द रेन' के रूप में वर्षा जल के संचयन की अनूठी पहल की है। इसे आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार 'कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान' के माध्यम से राजस्थान को जल उपलब्धता में सम्पन्न बनाएगी। इस अभियान से भविष्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जल संचयन हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि राजस्थान की आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यापक जन भागीदारी के साथ इस अभियान को सफल बनाएं।

माननीय सदस्यगण !

22. राज्य सरकार का प्रयास है कि गांव–ढाणी में बसे लोगों को स्वच्छ पेयजल सुलभ हो। जल जीवन मिशन के रूप में विगत सरकार को 'हर घर तक नल से जल' पहुंचाने का बड़ा अवसर

मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इसे प्रारंभ करने में कीमती समय ज़ाया किया और जब कार्य प्रारंभ किया तो इसमें हुए घोटालों से प्रदेश की पूरे देश में बदनामी हुई। अब हमारी सरकार इस स्थिति को सुधारने में जुटी है।

23. हमारी सरकार ने 6 हजार 91 करोड़ रुपये व्यय कर 11 लाख 17 हजार परिवारों को 'नल से जल' उपलब्ध कराया है। अब तक 30 वृहद् परियोजनाओं और 1 हजार 618 लघु परियोजनाओं को पूर्ण कर 4 हजार 951 गांवों को लाभान्वित किया गया है।

24. वर्तमान सरकार ने बाड़मेर में नर्मदा नहर आधारित 2 वृहद् परियोजनाओं तथा जोधपुर एवं फलौदी में जल जीवन मिशन के तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर आधारित 4 वृहद् पेयजल परियोजनाओं से 592 गांवों को लाभान्वित किया है। इस पर 927 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

25. अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 183 शहरों की पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए 5 हजार 123 करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृतियां जारी की गई है।

26. मुझे यह कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि गत सरकार के समय प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा एवं हमारे थर्मल प्लांट कोयले की कमी से जूझते रहे। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमारी सरकार ने 8 करोड़ प्रदेशवासियों की सेवा का दायित्व संभालने के साथ ही केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन तथा छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समन्वय कर परसा ईस्ट–कांटा बासन कोल ब्लॉक से कोयले का खनन पुनः प्रारंभ कराया, जिससे अब हमारी थर्मल इकाइयों को भरपूर कोयला मिल रहा है।

27. मुझे खुशी है कि गत सरकार में खस्ताहाल रहे इस क्षेत्र को 'नई ऊर्जा' मिली है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ 35 हजार 138 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के लिए करीब 1 लाख 58 हजार 800 करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं। साथ ही, प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम एवं पावरग्रिड के मध्य 10 हजार करोड़ रुपये का एमओयू किया गया है। हमारी सरकार राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है।

28. प्रदेश में वर्ष–2027 तक किसानों को खेती के लिए दिन में भी बिजली देने की हमारी प्रतिबद्धता है। इसे मूर्त रूप देने के लिए पीएम–कुसुम योजना को जमीनी स्तर पर गति दी जा रही है। आज राजस्थान के किसान खेत के समीप अपनी अनुपजाऊ भूमि पर विकेन्द्रित सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर अन्नदाता के साथ–साथ ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता के एक नए युग की शुरुआत हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुसुम योजना में 12 हजार मेगावाट तथा हाईब्रिड एन्युटी मॉडल पर 4 हजार मेगावाट से अधिक की विकेन्द्रित सौर परियोजनाओं से हम प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली सुलभ कराने के संकल्प को निश्चय ही साकार करेंगे।

29. कुसुम योजना के कम्पोनेंट–ए तथा कम्पोनेंट–सी में वर्तमान सरकार में अब तक 342 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। केन्द्र सरकार ने हाल ही में इस योजना के कम्पोनेंट–ए में 5 हजार मेगावाट क्षमता के संयंत्रों के लिए अतिरिक्त आवंटन किया है। योजना के कम्पोनेंट–सी में 4 हजार 444 मेगावाट क्षमता के सोलर संयंत्रों की स्थापना के लिए

कार्यादेश जारी कर राज्य में विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई है।

30. राज्य की कुल उत्पादन क्षमता में वर्तमान सरकार के समय में 2 हजार 180 मेगावाट की वृद्धि की गई है, जिससे प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता अब 26 हजार 325 मेगावाट हो गई है। मुझे प्रसन्नता है कि सौर ऊर्जा क्षमता विकास में योगदान के लिए भारत सरकार ने राजस्थान को प्रथम तथा अक्षय ऊर्जा के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया है।

31. हमारी सरकार ने अब तक 1 लाख 10 हजार से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन तथा 5 लाख 6 हजार से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए हैं।

32. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 'हर घर अब सूर्य घर' बन रहा है। राज्य में 125 मेगावाट क्षमता के 25 हजार 681 रूफ टॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनसे उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत मिल रही है।

33. राज्य सरकार द्वारा 400 केवी का एक, 220 केवी के दो, 132 केवी के 19 तथा 33 केवी के 123 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

34. प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के काम को गति दी जा रही है एवं 489 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों की स्थापना के लिए कार्यादेश भी जारी किए जा चुके हैं।

माननीय सदस्यगण !

35. प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता ऐसा विषय है, जिस पर सरकार ने मजबूत इरादों और संकल्प शक्ति के साथ काम किया है। गत सरकार के समय हुई पेपर लीक और नकल की घटनाओं से हमारे नौजवान अभ्यर्थियों का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ गया था। हमारी सरकार के सख्त निर्णयों से भर्ती संस्थाओं की गरिमा एवं विश्वसनीयता फिर से स्थापित हुई है। प्रदेश में पेपर लीक तथा नकल माफिया पर अंकुश लगा है। वर्तमान सरकार के समय में पेपर लीक के कारण से एक भी भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। यह दर्शाता है कि सरकार अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति से युवाओं के भरोसे पर खरी उतरी है। पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए पेपर लीक से संबंधित प्रकरणों में अब तक 100 एफआईआर एसओजी थानों में दर्ज कर 260 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

36. गत सरकार के समय कठोर परिश्रम और योग्यता के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने से चयनित युवाओं में निराशा घर कर गई थी। प्रदेश के युवाओं में उपजे हताशा के इस माहौल को दूर करते हुए हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि भर्तियां नियमित रूप से निकलें, परीक्षाएं समय पर हों और सफल अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति मिले। वर्ष 2025 के दौरान 81 हजार पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करना हमारे ठोस इरादों को परिलक्षित करता है।

37. बजट में हमारी सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख राजकीय नियुक्तियों की घोषणा की थी। मुझे प्रसन्नता है कि एक वर्ष में ही 59 हजार 236 पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त 1 लाख 72 हजार 990 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है जिससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है।

38. हमारी सरकार के प्रयासों से लंबे समय बाद प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की राह खुली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

39. हमारी सरकार की पुरजोर कोशिश है कि प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिले। छोटे शहरों और कस्बों में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं प्रारम्भ हों और अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर हो।

40. बीते एक वर्ष के दौरान बारां, बांसवाड़ा, झुंझुनू, नागौर एवं सवाई माधोपुर में राजकीय क्षेत्र में कुल 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। निजी क्षेत्र में जोधपुर में 2 तथा कोटा में 1 नया मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ किया गया है।

41. इन नए कॉलेजों से एमबीबीएस की 850 सीटों की बढ़ोतरी हुई है।

42. इसके अतिरिक्त, विगत एक वर्ष के दौरान राज्य में पीजी की 353 तथा सुपर स्पेशियलिटी में 46 सीटों की वृद्धि हुई है।

43. हमारी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में रिक्त पदों को भरने का कार्य भी प्राथमिकता से किया है। विगत एक वर्ष के दौरान राजमेस प्राचार्य के 7 तथा चिकित्सक शिक्षकों के 665 रिक्त पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं।

44. राजमेस के मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष फैकल्टी के कुल 1 हजार 192 नवीन पदों का सृजन किया गया है। प्रदेश के राजमेस से संबद्ध बड़े चिकित्सालयों में नर्सिंग एवं पैरा–मेडिकल के रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड को 4 हजार 466 नर्सिंग तथा पैरा मेडिकल के 676 पदों सहित कुल 5 हजार 142 पदों के लिए अर्थना भिजवाई जा चुकी है।

45. बच्चों में दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए जयपुर के जे.के. लोन अस्पताल में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज' तथा श्रीगंगानगर में 'कैंसर विंग' की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।

46. जयपुर में कैंसर के बेहतर इलाज के लिए आधुनिक लीनियर ऐक्सीलेटर मशीन प्रारम्भ हो गई है। अजमेर, कोटा एवं श्रीगंगानगर में भी ऐसी मशीनों की स्थापना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

47. एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के न्यूरोलॉजी विभाग में 100 बेडेड आईसीयू, श्वसन रोग संस्थान, जयपुर में 100 बेडेड प्री फैब्रिकेटेड वार्ड तथा जिला अस्पताल प्रतापनगर, जोधपुर को 150 बेडेड अस्पताल में क्रमोन्नत कर चिकित्सा सुविधाएं प्रारम्भ कर दी गई हैं।

48. गांव–ढाणी तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूर्ववर्ती सरकार के समय संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना को वर्तमान सरकार ने जन केन्द्रित बनाते हुए अधिक प्रभावी रूप में 'मुख्यमंत्री आयुष्मान् आरोग्य योजना' संचालित की है। प्रदेश के 1 करोड़ 34 लाख से अधिक परिवार इस योजना में पंजीकृत हैं। प्रतिदिन औसतन 8 हजार 200 से अधिक मरीजों को इस योजना में उपचार मिल रहा है। अब तक 19 लाख 62 हजार से

अधिक रोगियों को 3 हजार 526 करोड़ रुपये से अधिक का कैशलेस उपचार दिया जा चुका है।

49. मुख्यमंत्री आयुष्मान् आरोग्य योजना में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए 73 डे–केयर पैकेज तथा शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए 419 नये पैकेज जोड़े गये हैं। करीब 1 हजार 800 राजकीय एवं निजी अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं, जिनमें रोगियों को 1 हजार 819 पैकेजों के तहत 25 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है।

50. आयुष्मान् भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत राज्य में 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कैशलेस उपचार का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना में 22 लाख वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत हैं।

51. 'मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना' में आवश्यक दवा सूची का विस्तार किया गया है। योजना में कुल 1 हजार 824 औषधियां, सर्जिकल्स एवं सूचर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। गम्भीर बीमारियों यथा हीमोफीलिया के लिए 19, कैंसर के लिए 173, हृदय रोग के लिए 102 और डायबिटीज के लिए 34 औषधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 में 1 हजार 221 करोड़ रुपये व्यय कर जरुरतमंद मरीजों को निशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

52. वाजिब दरों पर दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की है। राज्य में 236 नये जन औषधि केन्द्र खोले गए हैं। इस प्रकार राज्य में अब कुल 437 जन औषधि केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं।

53. जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत राजकीय एवं अधिकृत निजी चिकित्सालयों में प्रसव पर ग्रामीण प्रसूताओं को 1 हजार 400 रुपये एवं शहरी प्रसूताओं को 1 हजार रुपये दिए जाते हैं। अब तक 1 लाख 6 हजार प्रसूताओं को भुगतान किया गया है।

54. ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी जांच सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान् आरोग्य–वाउचर योजना के माध्यम से लगभग 1 हजार 200 निजी अधिकृत सोनोग्राफी केन्द्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा दी जा रही है। योजना के तहत 72 हजार से अधिक कूपन जारी किए जा चुके हैं।

55. आधारभूत चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 6 उप जिला चिकित्सालय, 2 सैटेलाइट चिकित्सालय तथा 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया है, 4 नवीन सैटेलाइट चिकित्सालयों की स्थापना की गई है। साथ ही, 3 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को सैटेलाइट अस्पताल में क्रमोन्नत किया गया है।

56. इसके अलावा 41 उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, 43 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तथा 43 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है।

57. विगत एक वर्ष में 38 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 149 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 400 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 57 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, 6 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, 16 जिला औषधि भंडार, 4 ट्रोमा सेंटर, 7 बीसीएमओ कार्यालय, 1 क्रिटिकल केयर ब्लॉक तथा 5 ब्लड बैंकों का निर्माण करवाया गया है।

58. स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश में भर्तियों को मिशन मोड पर पूरा किया जा रहा है। राज्य में एक वर्ष के दौरान चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के 15 हजार 500 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 22 संवर्गों के 8 हजार 256 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

59. राज्य में टीबी नियंत्रण के लिए 'टीबी मुक्त ग्राम पंचायत' अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में उपचाराधीन रोगियों को पोषण प्रदान करने के लिए 12 हजार 300 निक्षय मित्रों को जोड़ा गया है।

माननीय सदस्यगण !

60. किसानों की खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे प्रसन्नता है कि किसानों की कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने दिसम्बर, 2024 तक लगभग 30 लाख किसानों को 16 हजार 781 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया है।

61. पीएम किसान सम्मान निधि योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की वन्दनीय पहल है। देश के लाखों किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार ने किसान कल्याण की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाते हुए इस योजना के साथ 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' प्रारंभ की है, जिसमें प्रदेश के किसानों को 2 हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अब तक 1 हजार 357 करोड़ रुपये लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

62. जीविकोपार्जन के लिए हमारे किसान भाई कृषि के साथ–साथ दुग्ध उत्पादन पर भी निर्भर रहते हैं। गौवंश संरक्षण व इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लागू की गई है। इसमें अब तक 24 हजार से अधिक गोपालक परिवारों को प्रति परिवार 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।

63. रात–दिन पसीना बहाकर खेतों में अन्न उपजाने वाले अन्नदाता किसानों के लिए राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। उन्हें राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्तमान सरकार के समय में 1 करोड़ 2 लाख 84 हजार हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा कर 3 करोड़ 56 लाख 40 हजार पॉलिसियां सृजित की गईं एवं 2 हजार 699 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम वितरित किए गये हैं।

64. किसान बेहतर उपज ले सकें, इसके लिए उन्हें 25 लाख 51 हजार मैट्रिक टन यूरिया एवं 6 लाख 84 हजार मैट्रिक टन डी.ए.पी. उपलब्ध करवाया गया है।

65. किसानों को 263 करोड़ रुपये का अनुदान वितरित कर 3 हजार 266 डिग्गियों एवं 18 हजार 813 फार्म पोण्ड का निर्माण कराया गया है तथा 12 हजार 400 किलोमीटर लम्बाई में सिंचाई पाइप लाइन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

66. पशुओं एवं जंगली जानवरों से फसल के नुकसान को रोकने के लिए 17 हजार 237 किलोमीटर लम्बाई में खेतों की तारबंदी की गई है, जिस पर लगभग 190 करोड़ रुपये का अनुदान दिया

गया है। अब तक 33 लाख 88 हजार महिला कृषकों को 70 करोड़ रुपये से निःशुल्क बीज मिनी किट वितरित किए गए हैं।

67. किसानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 40 जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म पोण्ड, डिग्गी, सिंचाई पाइप लाइन, तारबंदी, वर्मी कम्पोस्ट, जैविक उर्वरक संवर्धन जैसी योजनाओं का लाभ अब हमारे किसान घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं।

68. इन्टीग्रेटेड पोर्टल ''राज किसान साथी'' के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध विभागीय योजनाओं में आवेदन से भुगतान तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया को सुगम एवं पेपरलैस किया गया है। यह 'ईज़ ऑफ डूईंग फार्मिंग' की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी है। मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने 'राज किसान साथी' पोर्टल को नेशनल अवॉर्ड फॉर ई–गवर्नेंस स्कीम के अन्तर्गत 'गवर्नमेंट प्रोसेस री–इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन' श्रेणी में सिल्वर अवॉर्ड प्रदान किया है।

69. एक ही स्थान पर कृषकों को उच्च गुणवत्ता का आदान एवं तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए 13 हजार 879 खुदरा उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

70. सिंचाई में पानी की बचत के लिए सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत 45 हजार 557 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्र तथा 30 हजार 320 हेक्टेयर क्षेत्र में बूंद–बूंद सिंचाई व मिनी स्प्रिंक्लर स्थापित किये जा चुके हैं।

71. विपरीत मौसम में भी कृषक फसलें तैयार कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकें, इसके लिए 1 लाख 58 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस तथा 28 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में शेडनेट हाउस स्थापित किये गए हैं।

72. कृषकों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत 21 हजार 932 सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित किये गए हैं।

73. कृषि एवं विपणन कार्य करते समय दुर्घटना का शिकार होने वाले 1 हजार 440 किसानों, खेतीहर मजदूरों आदि को 23 करोड़ रुपये की सहायता राशि दी गई है।

74. किसानों को उनकी उपज का लाभकारी दाम सुलभ कराने के लिए 'ई–नाम' योजना कृषि उपज मंडियों और किसानों के बीच सेतु का काम कर रही है। राज्य की नवगठित 21 मंडी समितियों को 'ई–नाम' से जोड़ा गया है। अब तक प्रदेश की 166 मंडियां इससे जुड़ चुकी हैं। मुझे खुशी है कि ई–नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से होने वाले व्यापार में राजस्थान ट्रांजेक्शन की संख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर है।

75. किसानों को राहत देने के लिए कृषक कल्याण शुल्क फल–सब्जी पर 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत तथा अन्य अधिसूचित कृषि जिंसों पर 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है। गुड़ और चीनी पर मंडी शुल्क में शत–प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

76. गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। वित्त वर्ष 2024–25 में पंजीकृत 3 हजार 43 गौशालाओं को लगभग 700 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

77. पशुपालक के लिए पशुधन सबसे बड़ी पूंजी होती है। पशुपालकों को सम्बल देने की नेक सोच के साथ राज्य सरकार ने 400 करोड़ रुपये से 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' शुरू की है।

78. पशुपालकों को घर बैठे निःशुल्क पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन कॉल सेन्टर सेवा 1962 प्रारंभ की गई है। इसमें 536 मोबाइल वाहनों द्वारा 30 लाख पशुओं का उपचार कर 8 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया है।

79. प्रदेश में राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया गया है। किसानों को जमाबंदी, खसरा गिरदावरी तथा राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां ऑनलाइन प्राप्त हो रही हैं। सीमा ज्ञान तथा सहमति से बंटवारे के आवेदन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की गई है। नामांतरणों की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पेपरलेस किया गया है।

80. किसानों को स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से 'किसान गिरदावरी' मोबाइल एप्लीकेशन तथा राजस्व कार्मिकों के लिए 'राज–खसरा' गिरदावरी मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की गई है। राज्य के किसानों ने वर्ष 2024 के खरीफ सीजन में अपने 3 लाख से अधिक खेतों की स्वयं गिरदावरी की है।

81. भारत सरकार के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत प्रदेश में उपग्रह छायाचित्रों की मदद से नया डिजिटल भू–अभिलेख तैयार किया जा रहा है, जिससे जमाबंदी नक्शे और मौके की स्थिति एक जैसी होगी।

82. इस योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 11 जिलों में नया रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। आमेट, उनियारा, सिवाना एवं पीपाड़ सिटी तहसील का नया रिकॉर्ड आमजन को समर्पित किया जा चुका है।

माननीय सदस्यगण !

83. हमारी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और उनके मान–सम्मान में अभिवृद्धि के लिए समर्पित है। प्रदेश के विकास में माता–बहनों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमारा मानना है कि आधी आबादी जब सशक्त और आत्मनिर्भर होगी तो राजस्थान विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होगा। महिलाओं के सामर्थ्य तथा उनकी असीम प्रतिभा का समुचित उपयोग कर ही विकसित राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकता है।

84. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में गर्भवती, प्रसूता और धात्री महिलाओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए दी जाने वाली 5 हजार रुपये राशि में 1 हजार 500 रुपये की वृद्धि की गई है। वहीं, दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को प्रथम संतान पर देय राशि 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये की गई है। योजना में 4 लाख 21 हजार से अधिक लाभार्थियों को 190 करोड़ रुपये से अधिक राशि हस्तांतरित की जा चुकी हैं।

85. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में राज्य निधि से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच–पांच नए आंगनबाड़ी केन्द्र के हिसाब से प्रदेश में कुल 1 हजार नए आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत किए गये हैं।

86. हमारी सरकार ने 14 दिसंबर, 2024 को 'मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना' की अभिनव पहल की है। इसके माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 3 से 6 वर्ष आयु के 17 लाख बच्चों को सप्ताह में तीन दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे बच्चों को बेहतर पोषण मिल रहा है।

87. समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए 'लाडो प्रोत्साहन योजना' प्रारम्भ की गई है, जिसमें बालिका के जन्म पर 7 किश्तों में 21 वर्ष की आयु तक कुल 1 लाख रुपये देय हैं। प्रथम किश्त के रूप में 1 लाख लाभार्थियों को 25 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

88. प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के लिए ठोस निर्णय लिए जा रहे हैं। भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

89. नगरीय विकास विभाग की विभिन्न संस्थाओं द्वारा राज्य में 1 हजार 445 करोड़ रुपये की लागत से 900 विकास कार्य पूर्ण कराए गए हैं। आवासन मंडल द्वारा 4 हजार 385 आवासों का निर्माण पूर्ण कर 1 हजार 852 आवासों का कब्जा सुपुर्द कर दिया गया है तथा वर्तमान में 3 हजार 815 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

90. जयपुर के एस.एम.एस. अस्पताल परिसर में आईपीडी टावर, रामबाग गोल्फ क्लब पार्किंग, सैटेलाइट अस्पताल–बालमुकुन्दपुरा, सैटेलाइट अस्पताल–शिवदासपुरा, मानसरोवर से अजमेर रोड तक मेट्रो तथा सिविल लाइंस आर.ओ.बी के निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं।

91. जोधपुर में सिविल एयरपोर्ट नाला, कायलाना झील पर म्यूजिकल फाउंटेन, नगर वन, आनंद वन आदि कार्य प्रगतिरत हैं। उदयपुर में पारस तिराहे पर फ्लाई ओवर निर्माणाधीन है।

92. राज्य में 15 आवासीय योजनाएं सृजित की गई हैं तथा विगत एक वर्ष में 11 हजार 698 पट्टे जारी किए गए हैं।

93. शहरी क्षेत्र में हमारी सरकार ने घुमंतु, अर्द्ध घुमंतु, गाड़िया लोहार एवं कालबेलिया समुदाय के लोगों को 609 भूखंड आवंटित किए हैं। इसके साथ ही जोधपुर में 78 पाक विस्थापितों को भी पट्टे जारी किए गए हैं।

94. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना देश के शहरी इलाकों में रह रहे लोगों को आवास उपलब्ध कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। इस योजना में प्रदेश में 1 लाख 96 हजार 700 आवास बनाए जा चुके हैं। लाभार्थियों को अब तक 4 हजार 531 करोड़ रुपये की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई है।

95. राज्य में 1 हजार स्थाई श्री अन्नपूर्णा रसोइयों के माध्यम से मात्र 8 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है और 5 करोड़ 44 लाख थालियां परोसी जा चुकी हैं। इसका लाभ दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों, खेतीहर मजदूरों, रिक्शा चालकों, फेरी लगाने वालों सहित अन्य जरुरतमंदों को मिल रहा है।

96. शिक्षा व्यक्तित्व विकास का सबसे बड़ा माध्यम है। विद्या के मंदिरों में चरित्रवान् और संस्कारित पीढ़ी तैयार होती है। मेरा मानना है कि विद्यालयों में बच्चों को ऐसी गुणवत्तायुक्त शिक्षा दी

जाए, जिससे बचपन से ही उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो। हमारे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न हो और राष्ट्र प्रेम उनके लिए सर्वोपरि रहे।

97. देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद हम सभी के लिए स्मरणीय हैं। शहीदों के जीवन से हमारे बच्चे देशभक्ति की प्रेरणा ग्रहण करें, इसके लिए राज्य सरकार ने 51 राजकीय विद्यालयों का नामकरण अमर शहीदों के नाम पर किया है।

98. पीएम श्री योजना विद्यालयों में आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएं विकसित करने का सफल माध्यम बनी है। योजना के तहत राज्य में संचालित 639 विद्यालयों में लगभग 3 लाख 15 हजार विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन विद्यालयों में सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, न्यूट्री गार्डन, विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण एवं 21वीं शताब्दी के कौशल एवं संवैधानिक मूल्य के साथ–साथ स्वास्थ्य, योग, खेल, व्यवसायिक शिक्षा, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, डिजिटल लाईब्रेरी और सामुदायिक गतिशीलता जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

99. राज्य के 4 हजार से अधिक विद्यालयों में 8 हजार से अधिक स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 33 हजार मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं, जिनसे वे डिजिटल तकनीक से जुड़कर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

100. सरकार बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली 2 लाख 75 हजार बालिकाओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की गई हैं।

101. संसाधनों के अभाव में कोई भी शिक्षा ग्रहण करने से वंचित नहीं रहे, इसके लिए राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 4 करोड़ से अधिक पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को कम्प्यूटर विषय की 56 लाख 80 हजार पुस्तकें प्रदान की गई हैं।

102. छोटे शहरों के विद्यार्थियों को घर के नजदीक ही उच्च शिक्षा के समुचित अवसर मिल सके, इसके लिए 37 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। स्नातक स्तर के 12 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया गया है।

103. बेहतर शिक्षा के लिए महाविद्यालयों में आवश्यक संसाधन सुलभ कराए जा रहे हैं। प्रदेश में 61 महाविद्यालयों को नए भवन उपलब्ध करा दिए गए हैं।

माननीय सदस्यगण !

104. हमारी सरकार का मानना है कि सभी वर्गों तक उच्च शिक्षा की पहुँच सुलभ होनी चाहिए। इसी सोच के दृष्टिगत अल्प आय वर्ग, लघु एवं सीमान्त किसानों तथा खेतीहर मजदूरों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है।

105. सरकार का प्रयास है कि समाज के जरुरतमंद वर्गों को सम्बल मिले। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में 90 लाख 79 हजार पेंशनर्स को लाभ दिया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि पेंशन के रूप में दी जा चुकी है। सभी पेंशनर्स को आयु एवं योजना के अनुसार न्यूनतम 1 हजार 150 से 1 हजार 500 रुपये

तक प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। साथ ही, किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्तियों को प्रतिमाह 2 हजार 500 रुपये पेंशन देय है।

106. पालनहार योजना में 6 लाख बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।

107. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में 2 लाख 65 हजार से अधिक विद्यार्थियों को 334 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

108. दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक–बालिकाओं के निःशुल्क उपचार एवं उन्हें आर्थिक सम्बल देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान् बाल सम्बल योजना प्रारंभ की गई है।

109. देवनारायण योजना में अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए 180 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

110. राजस्थान में लू–तापघात के कारण प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे लोगों को संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने लू–तापघात को राज्य विशेष प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे अब राज्य आपदा मोचन निधि के द्वारा राहत प्रदान की जा सकेगी।

111. बाढ़ प्रभावित जिलों में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत के लिए वर्ष 2024 में 18 हजार 734 कार्यों के लिए 373 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गई है।

112. जनजाति क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के माध्यम से संचालित 437 आश्रम छात्रावासों एवं 53 आवासीय विद्यालयों में इस वर्ग के 43 हजार विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

113. पीएम–जनमन योजना आदिवासी जनजाति परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर में व्यापक बदलाव ला रही है। इस योजना में प्रदेश के बारां जिले के सहरिया क्षेत्र में 17 नए मल्टीपरपज केंद्र एवं 50 वनधन विकास केंद्र स्वीकृत किए गए हैं।

114. जनजातीय वर्ग के किसानों को लाभान्वित करने की दृष्टि से अनुसूचित एवं सहरिया क्षेत्र के 8 लाख 39 हजार कृषकों को खरीफ 2024 के अंतर्गत निःशुल्क संकर मक्का बीज तथा 49 हजार कृषकों को हाईब्रिड सब्जी बीज मिनिकिट वितरित किए जा रहे हैं।

115. जब तक हमारे गांव निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार नहीं होंगे तब तक देश का सम्पूर्ण विकास नहीं हो सकता। हमारी सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के ग्रामोदय की सोच के साथ काम कर रही है।

116. राजीविका परियोजना प्रदेश की लाखों महिलाओं को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उनके जीवन स्तर में सुधार ला रही है। परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 37 हजार 856 गांवों में 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 48 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

117. राजीविका की 94 हजार महिलाओं को राजस्थान महिला निधि से 382 करोड़ रुपये से अधिक का रियायती ऋण प्रदान किया गया है।

118. प्रदेश के 8 जिलों–बारां, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा तथा उदयपुर में 466 वनधन विकास केंद्रों का गठन कर 1 लाख 40 हजार महिला सदस्यों को लाभान्वित किया जा रहा है।

119. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना गांव–ढ़ाणियों में रह रहे लोगों को पक्के आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग 644 करोड़ रुपये व्यय कर 16 हजार से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं।

120. पंद्रहवें वित्त आयोग तथा छठे राज्य वित्त आयोग योजना में 5 हजार 951 करोड़ रुपये व्यय कर 1 लाख 87 हजार 688 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में 1 लाख 53 हजार 601 व्यक्तिगत और 1 हजार 667 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

121. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में स्वामित्व योजना के तहत 8 हजार 166 गांवों का ड्रोन सर्वे कराकर अब तक 6 लाख 87 हजार से अधिक स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घुमंतु, अर्द्ध घुमंतु और विमुक्त आवासहीन परिवारों को 17 हजार से अधिक पट्‌टे वितरित किए गए हैं।

122. सरकार के महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0' के तहत लगभग 885 करोड़ रुपये के 40 हजार 308 कार्य पूर्ण कराए गए हैं। इनसे वर्षा–जल का संरक्षण एवं संचयन संभव हुआ है।

123. श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत 867 रसोइयों के माध्यम से 31 दिसम्बर, 2024 तक 2 करोड़ 60 लाख थालियां परोसी जा चुकी हैं।

माननीय सदस्यगण !

124. सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि से पूरा परिवार उबर नहीं पाता। राज्य सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में दूरगामी सोच से काम कर रही है।

125. परिवहन कार्यों में पेपरलेस सिस्टम को बढ़ावा देते हुए वाहन चालकों के लिए ई–ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहनों के ई–रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रारंभ की गई है। इसमें अब वाहन चालकों को प्रति कार्ड 200 रुपये की छूट दी जा रही है। वाहन चालक भारत सरकार से अधिकृत मोबाइल एप्लीकेशन पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर इन्हें उपयोग में ले सकते हैं।

126. सुगम एवं सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। यात्रियों को सुखद एवं आरामदायक सफर के लिए प्रदेश में 510 नई बसें और सम्मिलित की गई हैं।

127. प्रतियोगी परीक्षार्थियों को राज्य सरकार ने राहत प्रदान की है। रोडवेज बसों में परीक्षा से दो दिवस पूर्व एवं दो दिवस बाद तक निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है। अब तक 4 लाख 89 हजार से अधिक परीक्षार्थी इस सेवा का लाभ ले चुके हैं। हमारे लोकतंत्र सेनानियों को भी लोकल एवं एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जा रही है।

128. शासन–प्रशासन में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेशवासियों को उनके घर के नजदीक ही 78 हजार से अधिक ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से लगभग 600 सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ई–फाइलिंग से पेपरलेस व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला है।

'राजकाज' के माध्यम से प्रदेश के लगभग 60 हजार कार्यालयों के 10 लाख से अधिक कार्मिकों को ई–फाइलिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे प्रशासनिक काम–काज में पारदर्शिता और गति आई है।

129. युवाओं के इनोवेटिव आइडियाज को प्लेटफॉर्म देना सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में है। इसी दृष्टि से 'एवीजीसी एंड एक्सआर नीति' लागू की गई है। इसका उद्देश्य एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में भी राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाना है।

130. कम उम्र में ही उद्यम की समझ विकसित करने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम शुरू किए गए हैं।

131. हमारे युवाओं की उद्यमिता एवं प्रगतिशील सोच से प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप की नींव रखने वाले युवाओं के कौशल को निखारने के लिए 'लर्न–अर्न एंड प्रोग्रेस' प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है।

132. राज्य में स्टार्ट अप्स की गुणवत्ता एवं सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 'आई स्टार्ट' कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 5 हजार 378 स्टार्ट अप्स पंजीकृत हुए हैं। इनमें से चयनित 300 स्टार्ट अप्स को इस वर्ष फंडिंग दी गई है।

133. मजबूत एवं चौड़ी सड़कें प्रगति को रफ्तार देती हैं। राज्य में सड़कों को सुदृढ़ व विस्तारित करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एक वर्ष में 14 हजार 679 करोड़ रुपये व्यय कर 8 हजार 868 किलोमीटर नवीन सड़कें तथा 11 हजार 602 किलोमीटर लम्बाई में राज्य सड़कों का विकास किया गया है। साथ ही, 1 हजार 40 गांवों को नवीन सड़कों से जोड़ा गया है।

134. ग्रामीण सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 200 विधान सभा क्षेत्रों में 1 हजार करोड़ रुपये की लागत से मिसिंग लिंक और नॉन पेचेबल सड़कों के 1 हजार 631 कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इनमें से 530 किलोमीटर लम्बाई के 309 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं।

135. दस हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाए जा रहे हैं। प्रथम चरण में 206 करोड़ रुपये की लागत से 52 गांवों में अटल प्रगति पथ निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

136. सुगम परिवहन के लिए 14 आरयूबी के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। आरयूबी के 14 तथा आरओबी के 33 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

137. अच्छे मानसून से इस बार सड़कें अधिक क्षतिग्रस्त हुई हैं। वर्तमान सरकार ने आमजन की पीड़ा को समझते हुए 964 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां जारी की है, जिनसे क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त करने के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं।

138. युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने के समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2024–25 में अब तक 68 हजार 581 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

139. मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के तहत वर्तमान सरकार द्वारा अब तक बेरोजगारी भत्ते के रूप में 448 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।

140. राज्य सरकार द्वारा अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में 26 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई है।

141. अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में अल्पसंख्यक वर्ग के 24 हजार 719 विद्यार्थियों को 16 करोड़ 38 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है।

142. राज्य सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2024–25 के दौरान गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देकर किसानों को आर्थिक सम्बल प्रदान किया है।

143. 'डोर स्टेप डिलीवरी' लोगों के जीवन को सुगम बनाने की दिशा में सरकार की अनूठी योजना है। इसमें 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन अथवा निःशक्त एनएफएसए पात्र परिवारों को घर बैठे राशन बैग वितरित किए जा रहे हैं।

माननीय सदस्यगण !

144. प्रदेश में जरुरतमंद परिवारों की महिलाओं को सम्बल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व बीपीएल के चयनित 38 लाख 86 हजार से अधिक परिवारों को 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है।

145. राज्य सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश में अन्य पात्र परिवारों को भी लाभान्वित करने के लिए 'मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना' लागू की है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चिन्हित शेष 67 लाख 97 हजार परिवारों को भी 450 रुपये में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। माह सितम्बर, 2024 से सब्सिडी राशि हस्तांतरण कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है।

146. मरुधरा को हरित राजस्थान के रूप में विकसित करने की दृष्टि से ''मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान'' एवं 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत व्यापक जनभागीदारी के साथ वृहद् स्तर पर पौधारोपण किया गया है।

147. प्रदेश में वन संरक्षण एवं वन्यजीवों के विकास के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला के अन्तर्गत मानसून में 30 हजार हेक्टेयर वन भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है।

148. पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर में 30 हेक्टेयर क्षेत्र में टाइगर सफारी विकसित की गई है।

149. जैसलमेर के रामदेवरा स्थित गोडावन प्रजनन केन्द्र में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून और वन विभाग के संयुक्त प्रयास से कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों के उपयोग से गोडावन के प्रजनन में

सफलता प्राप्त की गई है। गोडावन का यह दुनिया का पहला कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र इस दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

150. राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना संचालित कर रही है। इसके अंतर्गत 11 हजार 767 हजार यात्रियों ने अयोध्या की यात्रा कर रामलला के दर्शन किए। योजना में कुल 40 ट्रेनों का संचालन कर 33 हजार से अधिक यात्रियों को विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई गई। इसके अतिरिक्त 1 हजार 606 श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से यात्रा करवाकर भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करवाये गये।

151. भारतीय संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला बताया गया है। राजस्थान से महाकुंभ में शामिल हो रहे लाखों श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष कैंप स्थापित किया है, जिसमें निःशुल्क भोजन, चिकित्सा, सुरक्षा एवं हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है।

152. श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स एवं लोक कलाकारों के लिए 15 दिसम्बर, 2024 को 'मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना' शुरू की गई है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर इस श्रेणी के लोगों को 3 हजार रुपये मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है।

153. किसी भी प्रदेश का विकास उसकी कानून–व्यवस्था पर निर्भर है। कानून–व्यवस्था मजबूत हाथों में होगी तो उस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सरकार राजस्थान को सुरक्षित और भयमुक्त प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है। हमारी पुरजोर कोशिश है कि देश–विदेश में राजस्थान की छवि अपराध मुक्त प्रदेश के रूप पहचानी जाए।

154. प्रभावी पुलिसिंग के लिए 19 नए पुलिस थाने सृजित किए गए हैं। महिला सुरक्षा के लिए 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट गठित की गई है। पद्मिनी, कालीबाई एवं अमृता देवी के नाम पर तीन महिला बटालियनों के गठन के लिए 2 हजार 216 पद स्वीकृत किए गए हैं।

155. पुलिस के रेस्पोन्स टाइम को बेहतर करने के लिए 22 इंटरसेप्टर, 750 मोटर साइकिल तथा पुलिस मोबाइल यूनिट को 500 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।

156. राजस्थान रिफाइनरी का निर्माण राज्य के विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के पूर्ण होने से रोजगार के असीमित अवसर सृजित होंगे। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का भाग्य उदय होगा। हमारी सरकार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शीघ्र समर्पित करने के लिए संकल्पित है। इसके निर्माण को गति देते हुए परियोजना का लगभग 83 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मैं आशान्वित हूं कि इस परियोजना को पूर्ण कर जल्द ही हम राजस्थान के विकास में एक नया अध्याय लिखेंगे।

157. राज्य ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधान खनिजों के ब्लॉक ऑक्शन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

158. राज्य में खनन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित कर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राजस्थान खनिज नीति, 2024 लाई गई है।

159. शारीरिक एवं मानसिक विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी खेल प्रतिभाएं देश–विदेश में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। ऐसी प्रतिभाओं को

बढ़ावा देने तथा नए खिलाड़ियों को तराशने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। ऐसे 1 हजार 601 खिलाड़ियों को 33 करोड़ रुपये राशि प्रदत्त कर सम्मानित किया गया है।

160. राजस्थान के प्रतिभावान् खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत सकें, इसके लिए मिशन ओलम्पिक–2028 की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य में राजस्थान टारगेट ओलम्पिक पॉडियम स्कीम प्रारम्भ की गई है।

161. खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लागू की गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार 25 लाख रुपये तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज उपलब्ध हो सकेगा।

162. राजस्थान अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विश्व में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। भारत आने वाला हर विदेशी पर्यटक राजस्थान के ग्रामीण परिवेश, किलों, महलों, बावड़ियों, स्थापत्य कला और विविध संस्कृति को देखने जरूर आना चाहता है। यहां के पुरास्मारकों के संरक्षण तथा सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

163. राज्य में पर्यटकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति–2024 लागू की गई है।

माननीय सदस्यगण !

164. इस सत्र में निम्नांकित विधायी कार्य के साथ–साथ अन्य विधायी और वित्तीय कार्य सम्पादन हेतु आपके समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे–

1. राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
2. भरतपुर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025
3. बीकानेर विकास प्राधिकरण विधेयक, 2025
4. राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म–संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025

माननीय सदस्यगण !

165. आज इस अवसर पर मैं, भारत को एकसूत्र में पिरोने वाले लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। कृतज्ञ राष्ट्र उनकी 150वीं जयंती मना रहा है। साथ ही बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए हमारे महान् संविधान को लागू हुए 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यह लोकतंत्र, न्याय और समानता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की याद दिलाता है।

166. मैं, इस अवसर पर देश में शुचिता और सुशासन के प्रतीक पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहूंगा। कुछ दिन पूर्व ही हमने उनकी जन्म शताब्दी मनाई है। राष्ट्र निर्माण में 'अटल जी' का योगदान चिरस्मरणीय है। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित किया। उनकी देन 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' से देश के लाखों गांव सड़कों के जरिए विकास की मुख्यधारा में शामिल हुए। वहीं, स्वर्णिम चतुर्भुज

परियोजना से देश के चारों कोनों को सड़कों के मजबूत जाल से जोड़ा गया। किसान क्रेडिट कार्ड का नवाचार करते हुए उन्होंने किसानों को सशक्त बनाया।

167. ऐसे विकास पुरुष को हम सभी नमन करते हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार प्रदेश को सुशासन का प्रतीक बनाने की दिशा में संकल्पित है।

168. मैं, प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं कि 'विकसित भारत–विकसित राजस्थान' के संकल्प को साकार करने में अपनी महती जिम्मेदारी निभाएं। अपना अमूल्य योगदान देश एवं प्रदेश की समृद्धि में दें।

जय हिन्द–जय भारत

———